# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

| | | |
|---|---|---|
| ...करण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
| ...4/2024 | 26.03.2024 | 08.04.2024 |

उनवान

चैन सुख समदानी पुत्र श्री राम कुमार समदानी उम्र वयस्क निवासी 10–11–ए अशोक नगर, मिलन टॉकिज के पीछे, भीलवाड़ा राज0

प्रार्थी

बनाम

अर्जुन पुत्र पन्ना लाल विश्नोई उम्र वयस्क निवासी नया समेलिया, ग्राम पंचायत गठिला खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

जितेन्द्र कुमार पुत्र पन्ना लाल विश्नोई उम्र वयस्क निवासी नया समेलिया, ग्राम पंचायत गठिला खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

दुर्गेश कुमार पुत्र पन्ना लाल विश्नोई उम्र वयस्क निवासी नया समेलिया, ग्राम पंचायत गठिला खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

हितेन्द्र कुमार पुत्र पन्ना लाल विश्नोई उम्र वयस्क निवासी नया समेलिया, ग्राम पंचायत गठिला खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

ईश्वर पुत्र डालु विश्नोई उम्र वयस्क निवासी नया समेलिया, ग्राम पंचायत गठिला खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

नरेश कुमार पुत्र रामस्वरूप सोमानी उम्र वयस्क निवासी मकान संख्या 194, सिरकी मोहल्ला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

गौरव काबरा पुत्र सुरेश चन्द्र काबरा उम्र वयस्क निवासी मकान संख्या 17/56 काबरा गली भोपालगंज तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

भावना राठी पत्नी शरद राठी उम्र वयस्क निवासी मकान संख्या 71, सीपी टांक कोलोनी, कुसुम निकेतन एरिया, सीटी मुम्बई, जिला मुम्बई महाराष्ट्र

सुशीला देवी पुत्री मांगी लाल विश्नोई उम्र वयस्क निवासी नया सामेलिया, ग्राम पंचायत गठिला खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

. बदाम बाई पत्नी श्री पुनम चन्द उम्र

रूकमा देवी पत्नी छीतर लाल विश्नोई

. सचिव महोदय, नगर विकास न्यास भीलवाड़ा

. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

...स्थित:–अधिवक्ता प्रार्थी भानु प्रकाश कोली

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

## –: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

### –: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र न्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जा माधोपुर प0ह0 मण्डपिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा ी जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 50 की अभिलिखित आराजियात 187/2, 38/2, 189/4 कुल किता 03 कुल रकबा 0.9610 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं ब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। : प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर ाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये टेस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता स्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। जेर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी ाजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन न् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का लोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात हस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन रगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में त भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र र्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि माधोपुर प0ह0 मण्डपिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 50 की अभिलिखित आराजियात 187/2, /2, 189/4 कुल किता 03 कुल रकबा 0.9610 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन र्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति शानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की ाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी ो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर कन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क ौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

ाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा मिशनरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में जवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 08.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा